न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत खुनखुना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2015/207 दायरा दिनांक 03.11.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. अम्बालाल पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सानिया तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रमेशकुमार पुत्र ताराचन्द 2. नटवरलाल पुत्र ताराचन्द 3. ईन्दरादेवी पुत्री ताराचन्द 4. भगवतीदेवी पुत्री ताराचन्द 5. रूकमादेवी पत्नि ताराचन्द 6. अशोककुमार पुत्रलूणकरण 7. आनन्दकुमार पुत्रलूणकरण 8. गणेशकुमार पुत्रलूणकरण समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सानिया तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 9. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी , रेकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित—

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, ता 04 उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 27.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ग्राम सानिया के निवासी है।तथा एक ही खानदान से संबन्ध रखते है।

सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जो वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वज स्व. पुसाराम की खातेदारी की थी।

वादी अम्बालाल के पिता स्व. किशनलाल के दो पुत्र थें।जिनमे बडे पुत्र ताराचन्द व छोटे पुत्र वादी अम्बालाल है।वादी के पिता स्व. किशनलाल के स्वर्गवास के पश्चात स्व. किशनलाल के खातेदारी के खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा शरहद सानिया में फौतगी नामान्तरण के समय अकेले ताराचन्द का नाम दर्ज हो गया जबकि छोटे पुत्र पुत्र वादी अम्बालाल का नाम राजस्व रिकार्ड मे राजस्व अधिकारियो की लापरवाही से खातेदारी में नाम दर्ज नही हो सका स्व. किशनलाल का छोटा पुत्र होने के कारण स्व. किशनलाल की हकदारी के खेत में 1/2 हिस्सा वादी अम्बालाल के नाम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दर्ज होना चाहिये। खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा शरहद सानिया है 1/2 भाग पर वादी अम्बालाल का हक अधिकार है।उक्त खेताय पर वादी अम्बालाल का ही कब्जा काश्त है।अतः राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता स्व. किशनलाल हिस्सा 1/2 भाग में वादी अम्बालाल का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे।

वादी अम्बालाल के चाचा लूणकरण लगभग 60 वर्ष पुर्व में खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा शरहद सानिया में से अपना सम्पुर्ण हिस्सा वादी को मौखिक रूप से बैचाण करके कब्जा सुर्पद कर दिया था तब से लेकर आज तक प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 के पिता लूणकरण की खातेदारी व हक हिस्से की भूमि पर वादी अम्बालाल का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।तथा वर्तमान में भी वादी अम्बालाल का कब्जा काश्त है।लूणकरण व उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 का उक्त खेतो पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है।अतः लूणकरण के खातेदारी की भूमि वादी के नाम घोषित की जावे।

प्रार्थना वादी है कि

सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी में स्व. किशनलाल के वारिसान के तौर पर उनके पुत्र वादी अम्बालाल का 1/2 भाग की खातेदारी नाम घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे।

सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 के पिता लूणकरण की खातेदारी वादी अम्बालाल के नाम घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 08.01.2013 को प्रतिवादी संख्या 01 व 05 व 09 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 09 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की और से ईकबालिया जबाब दावा पेश हुआ ।पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 की तलबी हेतु नियत की गई।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत खुनखुना में उपस्थित हुये प्रतिवादी 06 ता 08 कोर्ट केम्प खुनखुना में भी बाद सम्मन तामिल के अनुपस्थित है। वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

में की गई। मौके पर वादी अम्बालाल का कब्जा होने की पुष्टि मजमे आम मौजिज व्यक्तियों से की गई।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी में स्व. किशनलाल के वारिसान के तौर पर उनके पुत्र वादी अम्बालाल का 1/2 भाग की खातेदारी नाम घोषित जाती है। तथा सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 के पिता लूणकरण की खातेदारी वादी अम्बालाल के नाम घोषित की जाती है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को कोर्ट कैम्प खुनखुना में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दि0 - 17-11-17

नोट :- खसरा नं. 297 रकबा 19-15 बीघा के स्थान पर खसरा नं. 297 रकबा 19.13 बीघा पढ़ा व समझा जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017/207** दायर दिनांक **03.11.2015**

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. अम्बालाल पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी सानिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. रमेशकुमार पुत्र ताराचन्द 2. नटवरलाल पुत्र ताराचन्द 3. ईन्द्रादेवी पुत्री ताराचन्द 4. भगवतीदेवी पुत्री ताराचन्द 5. रूकमादेवी पत्नि ताराचन्द 6. अशोककुमार पुत्रलूणकरण 7. आनन्दकुमार पुत्रलूणकरण 8. गणेशकुमार पुत्रलूणकरण समस्त जाति ब्राह्म्ण निवासी सानिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 9. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी , रेकार्ड दुरूस्ती

दिनांक **27.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादी सं0 01,ता 04 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी में स्व. किशनलाल के वारिसान के तौर पर उनके पुत्र वादी अम्बालाल का 1/2 भाग की खातेदारी नाम घोषित जाती है। तथा सरहद सानिया कें खेत ख. न. 297 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खेत ख. न. 315 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 के पिता लूणकरण की खातेदारी वादी अम्बालाल के नाम घोषित की जाती है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................. ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक :- 17/11/17

नोट :- खसरा नं० 297 रकबा 19.15 बीघा के स्थान पर ख० नं० 297 रकबा 19.13 बीघा पढ़ा व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner